

23.02.2022 पत्रावली चेष्टा दुरु मधिवरु उभयपक्ष उप.।

मधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जाए ही  
नुकी हो मपीलॉरगण के मधिवरु  
ने बहल करत हए निवेदन किया कि  
मधीनस्थ न्यायालय हाए मपीलॉरगण  
के नाम जारी समनो पर व्यक्तित्व  
रूप से शामिल नहीं करवाई गई।

मधीनस्थ न्यायालय हाए मपीलॉरगण  
को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं  
दिया गया। मधीनस्थ न्यायालय हाए मपीलॉरगण  
मादेवा विधि हाए स्थापित प्रक्रिया का  
पालन किये बिना परित किया गया।  
मतः मपीलॉरगण की मपील खीय  
की जावे।

रेखा. संख्या 01 के मधिवरु ने बहल  
करत हए निवेदन किया कि मधीनस्थ  
न्यायालय हाए मपीलॉरगण को सुनवाई  
का समुचित अवसर दिया गया। मधीनस्थ  
न्यायालय हाए मपीलॉरगण के नाम परित  
समन किये बिना बावजूद सूचना अनुपस्थित।

मतः मपीलॉरगण की मपील खीय  
करवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी  
बाहमोर

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी  
हुए

मजिस्ट्रेट उभयपक्ष की पत्रावली पर  
 बहस सुनी गई। पत्रावली का ख्यातपूर्व  
 अवलोकन किया गया। मजिस्ट्रेट  
 न्यायालय द्वारा मपीलांरण के  
 नाम एपिस्टो सामग्री प्रेषित  
 पिछली डिलवरी के काम नहीं हुई।  
 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मपीलांरण  
 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं  
 दिया गया। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा  
 मपीलांरण निर्णय व डिफ़ी एम्प्लीम  
 पॉरि की गई। जो प्रकृति न्याय के  
 विधान के खिलाफ है। मजिस्ट्रेट  
 न्यायालय द्वारा मपीलांरण निर्णय  
 व डिफ़ी विधि द्वारा स्थापित  
 प्रक्रिया का पालन बिना पॉरि  
 की गई जो न्यायोचित नहीं है।  
 उपरोक्त विवेक एवं तथ्यों के  
 मालोक में मपीलांरण की मपील  
 खीकाए कर उभरण रिमांड करते  
 योग्य रहती है।  
 लिहाजा मपील खीकाए की जाती है।  
 मजिस्ट्रेट न्यायालय सहामक केन्द्र  
 कोल्लिया द्वारा राजस्व वाद संख्या

100/2019 सनवाग बीमपुरी बनाम  
 किशोरपुरी वगैरे में पॉरि निर्णय एवं  
 डिफ़ी दिनांक 25.02.2021 को मपील  
 किया जाकर उभरण इस निर्णय के  
 साथ प्रेषित किया जाता है कि मपीलांरण  
 को सुनवाई का समुचित अवसर

राजस्व उपनिर्देश अधिकारी  
 बाबुपर

दिनांक जकार बाद सुनवाई गुणावगुण पर  
निर्णय व डिप्टी पारि करे उभयपक्ष मधीनस्व  
न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित  
हो मधीनस्व न्यायालय का अतिरिक्त मय  
निर्णय प्रति लौटाई जावे पत्रावली में शल  
व्युत्पाद नंबर से कर दोकर बाद नकली  
दाखिल दोकर हो मोदवा से इतलाय  
सुनाया गमा

  
पुनल अपील अधिकारी  
दाखिल